कार्यालयः जनपद न्यायाधीश, गाजियाबाद।

दिनांक 21 -मार्च-2020

आदेश संख्या-138/2020

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या-426/इंफ्रासेल दिनांकित 21.03.2020 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुपालन में जनपद न्यायालय, गाजियाबाद के समस्त न्यायिक अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण को सूचित किया जाता है कि COVID-19 से बचाव एवं एहतियात के तौर पर माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालयों को दिनांक 28.03.2020 तक पूर्ण रूप से बंद करने का आदेश पारित किया गया है। जनपद न्यायालय, गाजियाबाद में कार्यरत समस्त अधिकारीगण, तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे भीड़ में इकट्ठा होने व सावर्जनिक यातायात का उपयोग करने से बचे, किसी भी व्यक्ति से हाथ न मिलाने, आपस में बातचीत करते समय एक मीटर की दूरी बनाए रखे तथा केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर COVID-19 वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें। अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय नही छोड़ेंगे।

सभी संबंधित सूचित हो।

21.3.2020

जनपद न्यायाधीश,
गाजियाबाद।

District Judge
Ghaziabad

प्रतिलिपिः

1. अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, गाजियाबाद।
2. नोटिस बोर्ड, जनपद न्यायालय, गाजियाबाद।